

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम)मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर-474002

क्र.प्रशा./वि.क./ऑडिट/प्रोत्साहन प./2025/का.आ. -161 दिनांक :02-04-2025

कार्यालय आदेश

सभी वरिष्ठ लेखा परीक्षक और सहायक पर्यवेक्षक जिन्होंने 01.04.2025 को एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं अथवा करने वाले हैं तथा पूर्व में वरिष्ठ लेखा परीक्षक और सहायक पर्यवेक्षक के लिए आयोजित होने वाली प्रोत्साहन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, को सूचित किया जाता है कि वरिष्ठ लेखापरीक्षकों और सहायक पर्यवेक्षक के लिए प्रोत्साहन परीक्षा का आयोजन माह अप्रैल 2025 (दिनांक 29.04.2025) में ग्वालियर केंद्र पर की जाएगी। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम बाद में सूचित किया जायेगा।

1. इस परीक्षा में 100 अंको का एक प्रश्न पत्र (बहुविकल्पीय पैटर्न में) वित्त, लेखे और लेखापरीक्षा विषयों पर 2 घंटे की अवधि का होगा।
2. वे परीक्षार्थी जो 50% (पचास प्रतिशत) या अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उनको परीक्षा संपन्न होने वाले माह की पहली तारीख से वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं सहायक पर्यवेक्षक के वेतनमान में एक अग्रिम वेतन-वृद्धि दी जाएगी।
3. अभ्यर्थी को परीक्षा में कोई पुस्तक आदि लाने की अनुमति नहीं होगी। उनको प्रश्न पत्र का उत्तर हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में देने का विकल्प होगा।

पात्रता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में अपने शाखा प्रभारी के अनुशंसा के साथ दिनांक **11.04.2025 (शुक्रवार)** तक या इसके पूर्व विधि कक्ष में अनिवार्यतः प्रस्तुत कर देवे। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों, अपूर्ण एवं असत्य जानकारी वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 का नकारात्मक अंकन लागू होगा।

All Sr. Auditors and Asst. Supervisor who have completed /will be completing one year service in Sr. Auditor cadre as on 01.04.2025 and had not passed the incentive exam for Sr. Auditors and Asst. Supervisor are hereby informed that Incentive Examination for Sr. Auditors and Asst. Supervisor will be organized in the month of April 2025 (Date 29.04.2025) and center will be at Gwalior. The details of the examination will be announced later.

1. There will be a single paper (on MCQ pattern) of 100 marks on "Finance, Accounts and Audit" subject of 2 hours duration.
2. Candidates securing fifty percent marks and above will be granted one advance increment in the scale of Senior Auditor with effect from the first day of the month in which the examination is held.
3. Candidates will not be permitted to bring any books etc. to the examination hall. They will have the option to answer the paper in either English or Hindi.

All eligible and willing candidates may invariably submit their application form in prescribed format (enclosed) along with the recommendation of their Branch

Officer to Legal Cell on or before **11.04.2025 (Friday)**. Application forms received after the due date/incomplete application/applications containing false information will not be entertained. Negative marking of 0.25 will apply for each wrong answer in the exam.

(प्राधिकार: उप महालेखाकार/ प्रशासन महोदय के आदेशानुसार)

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/विधि कक्ष

दिनांक:02-04-2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), म.प्र., ऑडिट भवन, ग्वालियर
2. सचिव, महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति), ए.जी.सी.आर. बिल्डिंग, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, म.प्र., भोपाल-462011
4. उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), म.प्र., ऑडिट भवन, ग्वालियर
5. वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, म.प्र., भोपाल- 462011, कृपया सभी पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र प्राप्त कर तुरंत इस कार्यालय को भेजने की समुचित व्यवस्था करें। आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में निरंक की सूचना प्रेषित करें।
6. वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, म.प्र., ग्वालियर को आपदा प्रबंधन के अंतर्गत अभिरक्षा में रखने हेतु।
7. उप महालेखाकार/ AMG-I, AMG-II, AMG-III, AMG-IV, AMG-V, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), म.प्र., ऑडिट भवन, ग्वालियर।
8. उप निदेशक (केंद्रीय), उप निदेशक (केंद्रीय प्राप्ति), कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली, शाखा ग्वालियर।
9. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11,12,13,14, ITA, Report-I, Report-II, Report (PAC), Hindi Cell, CC, , FAAS-M, FAAP, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, AMG-I (मुख्यालय), AMG-II (मुख्यालय), AMG-III (मुख्यालय), AMG-IV (मुख्यालय), AMG-V (मुख्यालय)। कृपया अपने समूह/अनुभाग में कार्यरत संबंधित कर्मचारियों के ध्यान में लाएं।
10. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/GE, CRA-I, CRA-II, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली, शाखा ग्वालियर। कृपया अपने समूह/अनुभाग में कार्यरत संबंधित कर्मचारियों के ध्यान में लाएं।
11. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.एस.एंड डी.ए.सी को इंटरनेट एवं इंटरनेट पर अपलोड करने हेतु।
12. श्री नरेश आहूजा, स.ले.प.अ. को इंटरनेट एवं इंटरनेट पर अपलोड करना सुनिश्चित करने बावत।
13. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी, श्री/श्रीमती.....

14. सूचना पटल|

हस्ता/-
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/विधि कक्ष

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ऑडिट-प्रथम)
ऑडिट भवन, झाँसी रोड, मध्य प्रदेश, ग्वालियर-474002

वरिष्ठ लेखापरीक्षक/सहायक पर्यवेक्षकों हेतु प्रोत्साहन परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र

- | | | | |
|-----|---|---|---------------------|
| 1. | आवेदक का नाम एवं स्थाई क्रमांक
(सेवा पुस्तिका के अनुसार) | - | |
| 2. | अनुभाग/कार्यालय जिसमें आबंटित हैं | - | |
| 3. | जन्म तिथि (सेवा पुस्तिका के अनुसार) | - | |
| 4. | शैक्षणिक योग्यता (सेवा पुस्तिका के अनुसार) | - | |
| 5. | नियुक्ति की तिथि | - | |
| 6. | वरिष्ठ लेखापरीक्षक के पद पर पदोन्नति की तिथि | - | |
| 7. | दिनांक 01.04.2025 को वरिष्ठ लेखापरीक्षक के
संवर्ग में सेवा की अवधि | - | |
| 8. | 01.03.2023 को पदक्रम सूची में क्रमांक व
पृष्ठ संख्या | - | |
| 9. | क्या परीक्षार्थी अनु. जाति/जनजाति से संबंधित
है यदि हाँ तो स्पष्ट रूप से अनु.जाति/जनजाति लिखे। | - | |
| 11. | परीक्षा का केन्द्र (ग्वालियर/ भोपाळ) | - | ग्वालियर..... |
| 12. | माध्यम का विकल्प (हिन्दी/अंग्रेजी) | - | |
| 13. | मूल वेतन 01.03.2025 को | - | |

(प्रार्थी के हस्ताक्षर)

संबंधित अनुभाग के वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी की अनुशंसा

स.क्र. 1 से 6 को सेवा पुस्तिका से सत्यापित करे।

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/(प्रशासन-12/G.E.)